

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2018/TG-I/23/YTSK Pending Issues

New Delhi dated 13.08.2018

**Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

(CORRIGENDUM TO COMMERCIAL CIRCULAR NO. 41 OF 2018)

Sub: Modification in the Yatri Ticket Suvidha Kendra (YTSK) policy.

Instructions delineating modifications in YTSK scheme have been issued vide this office letter of even number dated 09.08.2018 (Commercial Circular no. 41 of 2018). In Sub Para 7 of Para 2 of Commercial Circular no. 41 of 2018, the term "YTSK" has been used instead of "YTSK licensee".

1.1 The sub Para 7 of Para 2 has, therefore, been revised as under:-

"The following clause may be added in the scheme:-

The YTSK licensee will indicate two (02) nominees/legal heirs in whose name the license should be transferred in case of death of the YTSK licensee. In case the nominee 1 passes away before the YTSK licensee or is unwilling to continue as YTSK licensee after the demise of the original allottee, nominee 2 shall be asked to continue as YTSK licensee."

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.


(Samir Kumar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/PC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NE Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2018/टीजी-1/23/वाईटीएसके पेंडिंग इशूज

नई दिल्ली, दिनांक 13.08.2018

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 41 का शुद्धिपत्र)

विषय: यात्री टिकट सुविधा केन्द्र (वाईटीएसके) नीति में आशोधन।

इस कार्यालय के दिनांक 09.08.2018 के समसंख्यक पत्र (2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 41) के तहत वाईटीएसके योजना में संशोधन करने से संबंधित अनुदेश जारी किए गए हैं। 2018 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 41 के पैरा 2 के उप पैरा 7 में "वाईटीएसके लाइसेंसधारी" के बदले "वाईटीएसके" शब्द का प्रयोग किया गया है।

1.1 अतः, पैरा 2 के उप पैरा 7 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

"इस योजना में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाए:

"वाईटीएसके लाइसेंसधारी ऐसे दो (02) नामितियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को दर्शाएगा जिनके नाम पर वाईटीएसके लाइसेंसधारी की मृत्यु होने पर लाइसेंस हस्तांतरित किया जाना चाहिए। यदि वाईटीएसके लाइसेंसधारी से पहले नामिति 1 की मृत्यु हो जाती है या वह मूल आबंटि की मृत्यु के बाद वाईटीएसके लाइसेंसधारी के रूप में बने रहने के लिए अनिच्छुक हो तो नामिति 2 को वाईटीएसके लाइसेंसधारी बनने के लिए कहा जाएगा।"

सभी संबंधितों को तदनुसार आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(समीर कुमार)

निदेशक यातायात वाणिज्य (सा.)

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
- 2) कार्यपालक निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्यपालक निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/ वित्त वाणिज्य, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड

- 3) ग्रुप महाप्रबंधक/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.
- 4) प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
- 7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
- 14) प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे निगम लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं. 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.
